Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to undertake development works and provide civic amenities in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan -laid.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरा संसदीय क्षेत्र 60 हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल एवं 36 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, जिसकी 1070 किमी सीमा भारत-पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगी है। यह पूरा मरूस्थलीय एवं थार क्षेत्र है। 1976 में देश में विलुप्त हो रहे एवं दुर्लभ पशु एवं पक्षियों के संरक्षण के लिए 1980 में जिला बाडमेर एवं जैसलमेर के 3162 वर्ग किमी के क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया जिसमें 73 गांव एवं 200 ढाणियों जिनकी आबादी 1 लाख 15 हजार और लगभग 4 लाख पशुधन है। यह वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के लोगों ने 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्ध में देश की सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। स्थानीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से विषमतापूर्ण होने एवं पशुपालन एवं खेती यहाँ के जीवनयापन का मुख्य आधार होने से यहाँ के लोगों के द्वारा वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण सराहनीय है। उक्त क्षेत्र राज्य पक्षी गोडावन संरक्षण के लिए घोषित होने से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं से यह क्षेत्र विगत 40 सालों से वंचित है। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य पर रोक होने से विकास नहीं हो पा रहा है। विधानसभा, लोकसभा या स्थानीय निकायों के चुनावों में डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त करवाने की मांग उठती रही है। लेकिन विभिन्न सरकारों द्वारा आश्वासनों के अलावा इस क्षेत्र की जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया गया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस सदन में मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2014 में मुद्दा उठाने एवं विभाग स्तर पर पत्र व्यवहार से स्थानीय जनता की तकलीफों से अवगत करवाने पर राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के कुछ कार्यों के निर्माण हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की जिससे स्थानीय लोगों को विगत 40 सालों में थोड़ी राहत मिली है। परन्तु नियमों एवं मार्गदर्शिका के स्पष्ट नहीं होने से अपेक्षाकृत कार्य नहीं हो पाया है।

यहाँ के हालात यह हैं कि

1. सरकार ने करोड़ो रुपये खर्च कर जीएलआर बना दिए हैं परन्तु पाईपलाईन खोदने की अनुमति नहीं होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहा है। बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। लोग बरसाती पानी पर साल भर निर्भर रहते हैं।

2. विकास के मुद्दों में बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है 30 गांव एवं 200 ढाणियाँ आज भी बिजली से वंचित है। प्रधानमंत्री की हर घर बिजली योजना भी यहाँ बिजली नहीं पहुंचा पाई है। बिजली के अभाव में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं।

3. यहां विगत 40 साल से सड़कों की मंजूरी पर रोक है। जो सड़के पूर्व में बनी हुई थी। मरम्मत के अभाव में वे भी खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को कच्चे रास्ते, ग्रेवल सड़क पर 5-7 किमी का रास्ता पार करना पड़ता है।

4. डीएनपी क्षेत्र में आसपास के 20 किमी की दूरी तक सीएचसी या पीएचसी नहीं है। इमरजेन्सी में भी लोग इस वैज्ञानिक एवं आधुनिक युग में चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाने से मौत के शिकार होते हो रहे हैं।

5. सरकारी एवं गैर सरकारी सभी कार्य आज कल ऑनलाईन होने के बावजूद यहां न तो नेटवर्क है यदि हो तो मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है। कुछ गांवों में लोग टीलों एवं पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल से बात कर रोजी रोटी के लिए क्षेत्र के बाहर गए अपने परिवारजनों से सम्पर्क कर पाते हैं।

6. पाकिस्तान से बड़ी संख्या में पीड़ित हिन्दू-पाक विस्थापितों को भी इसी क्षेत्र में भूमि आवंटित कर बसाया गया है। उनको अभी तक नागरिकता भी नहीं मिली और आधारभूत सुविधा भी नहीं मिल पाई है।

सड़क नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, चिकित्सा सुविधा नहीं, शिक्षा नहीं यानि कोई मूलभूत सुविधा नहीं होना। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र घोषित होना यहां के लोगों के लिए अभिशाप (आप) साबित हुआ है। शासन एवं प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा यहां के लोग नर्क की सी जिन्दगी जी रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि उक्त क्षेत्र की जनता की तकलीफों को देखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र ठोस कदम उठाकर उक्त क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही अमल में लाकर स्थानीय जनता को न्याय प्रदान करायें।